CNR NO-UPVR010048352026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, वाराणसी।

(J.O. Code UP 1900)

<u>प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1601/2026</u>

1– बच्चेलाल पुत्र स्व० रामजीत

2– रेनू देवी पत्नी बच्चेलाल

निवासीगण ग्राम सालिवाहनपुर, नेवादा, थाना बड़ागॉव जिला वाराणसी।

----------आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार---------- विपक्षी।

अपराध संख्या–110/2026
अन्तर्गत धारा–85, 80(2),बी. एन.एस.
व 3/4 डी.पी. एक्ट
थाना –बड़ागॉव, जिला वाराणसी।

<u>दिनांकः01–06–2026</u>

1. यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **बच्चेलाल व रेनू देवी** की ओर से उपरोक्त मामले में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से कथन किया गया है कि यह उनका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। जमानत प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र दाखिल किया गया है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रमाशंकर ने अपनी पुत्री अंजली भारती का विवाह दिनांक– 19.04.2025 को अनिल कुमार के साथ किया था। उसने शादी में अपने सामर्थ्य के अनुसार एक बुलेट बाईक का पैसा मु0 2,80,000/–रूपया व एक लाख रूपया नगद, तिलक थान थरिया के साथ व 100 छोटे बड़े बर्तन, आलमारी कुलर, डबल बेड सिंगरदान आदि उपहार स्वरूप दिया था। उसकी पुत्री विदा होकर अपने ससुराल गयीं व पत्नी धर्म का पालन करने लगी। कुछ दिन बीतने के बाद उसकी पुत्री के साथ सास रेनू देवी व ससुर बच्चे लाल व ननद मोनिका, देवर आशीष, श्रवण व पति ने मिलकर एक राय व एक गोल बनाकर सभी लोग एक स्वर में बोले कि तुम्हारे पिता ने हमारे बेटे को सोने की सिकड़ी व अंगूठी नहीं दी है अब तुम अपने पिता से 50,000/– रूपये नगद व सोने की अंगूठी व सिकड़ी लेकर आओगी तो हम सभी लोग तुमको रखेगे अन्यथा तुम्हारी हत्या कर देंगे। तब वादी मुकदा पुत्री ने कहा कि उसके पिता बहुत गरीब है इतना रूपया व सामान नहीं दे पायेगे। इतना सुनते ही सभी विपक्षीगण उसकी पुत्री से कहे कि तुम अपने पिता से फोन पर बात करो तब उसकी पुत्री ने सभी सूचना उसे से फोन पर बतायी उसने अपने पुत्री की बात सुनकर कहा कि हम इतना सामान नहीं दे सकते है इतना सुनते ही सभी विपक्षीगण फोन काट दिये उसके बाद वह अपनी पुत्री को उसके ससुराल से मायके ले आये उसके बाद लगभग 8 दिन बाद उसकी पुत्री अपने मायके रहने के बाद दिनांक–15.03.2026 को पुनः अपने ससुराल गयी उसके बाद सभी विपक्षीगण उसकी पुत्री को दहेज की माँग को लेकर प्रताड़ित करने लगे और दिनांक–

Digitally signed by SANJEEV SHUKLA
Date: 2026.06.02 13:36:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

24.03.2026 को सुबह लगभग 10 बजे उसकी पुत्री ने अपने माता पिता से फोन पर दहेज प्रताड़ना की बात बतायी। उसके बाद सास ने लगभग 3 बजे ससुराल से फोन वादी मुकदमा को किया कि आपकी पुत्री ने दरवाजा बन्द कर लिया है और दरवाजा नहीं खोल रही है तब वादी मुकदमा व उसकी की पत्नी व उसके गाव के 8–10 लोग मौके पर पहुंचे तो मौके पर दरवाजा खुला मिला व उसकी पुत्री बेड पर मृतक अवस्था में सुलायी हुई मिली। उसके बाद सभी विपक्षीगण मौके से फरार हो गये। प्रार्थी के भतीजे द्वारा 112 नम्बर फोन कर पुलिस को सुचना दी गयी। उसके बाद थाना बड़ागाँव अपने पुलिस बल के साथ पुलिस आयी और मौके पर देखी तो प्रार्थी की पुत्री के गले पर निशान व हाथ में जले का निशान व गम्भीर चोटे थी, ऐसा लग रहा था कि प्रार्थी की पुत्री का गला दबाकर हत्या किया गया है।

4. मृतका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निम्नलिखित चोटे पायी गयी है–

> **1–** Ligature mark all around neck is 31cm x 2–3cm high up of neck obiliquely placed with a gap of 3cm over left side of neck. Ligature mark 8cm below right ear lobe and 3cm below left ear lobe. Upper end of ligature mark 20cm from top of head. Lower end of ligature mark 6cm above suprasternal notch. Lower end of ligature mark 137cm from right heel. Ligature mark on front of neck is 3cm hence the total body length is 160cm, skin under ligature is parchmentised, tissue underneath is ecchymosed.
>
> **2–** Old healed scar of size 6cm x 2.5cm over anterior aspect of forearm, 5cm from left 2 wrist joint and 14cm from left elbow joint. अंकित है।

मृतका की मृत्यु का कारण– Asphyxia as a result of hanging, how so ever uterus with cvary preserved for histopathological examination to verify pregnancy. अंकित है।

5. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मृतका के सास व ससुर है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को फर्जी ढंग से आरोपित कर अभियुक्त बनाया गया है जबकि उनके द्वारा ऐसा कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने किसी को दहेज के लिये प्रताडित नहीं किया है और न ही दहेज की मांग की है और न ही किसी का दहेज के लिये हत्या की है। प्रार्थीगण के पुत्र अनिल कुमार ने मृतका से प्रेम विवाह किया था उपरोक्त शादी में किसी भी प्रकार का दान दहेज या सामानो का लेनदेन नही हुआ था। उपरोक्त शादी से लड़की के परिवार वाले खुश नही ये, तथा अंजली के मायके वाले उसको अपमानित करते थे जिससे अंजली अवसादग्रस्त हो गयी थी। उसी वजह से अवसादग्रस्त होकर कथित घटना वाले दिन जब कोई घर पर नही था, प्रार्थीगण रिश्तेदार के यहाँ मुण्डन संस्कार में गये हुए थे। घटना के समय मृतका का पति अनिल कुमार बैंक अपने नौकरी पर गया हुआ था तथा छोटा पुत्र मार्केट गया हुआ था। उक्त घटना वाले दिन जब प्रार्थीगण का छोटा पुत्र घर पहुंचा तो देखा कि उसकी भाभी दरवाजा बंद कर अन्दर है। उसने दरवाजा खटखटाया उधर से कोई आवाज न आने के कारण परेशान होकर मृतका के पति अनिल कुमार को फोन किया अनिल कुमार बैंक से तुरन्त घर आया तेज तेज दरवाजा पीटने के बाद भी गेट न खुलने पर किसी अनहोनी का आभास होने पर उपरोक्त रूम का दरवाजा अनिल कुमार ने तोड़ दिया दरवाजा खुलते ही अन्दर का दृष्य देखकर

प्रार्थी का पुत्र अनिल हतप्रभ रह गया। घर के अन्दर उसकी पत्नी फांसी लगाकर लटकी हुयी थी। उसकी जान बचाने के लिए उसने तुरन्त अपने पत्नी को नीचे उतारा तब उसे आभास हुआ कि उसकी पत्नी का देहान्त हो गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। उपरोक्त घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष है। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये।

6. प्रत्युत्तर में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) व वादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया तथा तर्क किया गया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर मृतका से दहेज में 50,000/–रूपये व सोने की सिकडी की मांग की जा रही थी और माँग की पूर्ति न होने पर उसकी दहेज मृत्यु कारित कर दी गयी। मृतका की मृत्यु अस्वाभाविक परिस्थितयों में उसके ससुराल में एक वर्ष के अन्दर हुइ है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाय।

7. उभयपक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

8. अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, सामग्री एवं अपराध की प्रकृति व गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, मेरी राय में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **बच्चेलाल व रेनू देवी** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः01–06–2026

(संजीव शुक्ला)
सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी।
J.O.Code–UP1900